प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.01.2026

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से चोरी की 02 मोटरसाइकिल बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 19.01.2026 को थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त मौहम्मद सरवर उर्फ इबरान उर्फ इमरान पुत्र मौ0 इदरीश उर्फ मुजीब निवासी झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को यशोदा अस्पताल के पास सर्विस रोड पर से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया व अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अन्य चोरी की मोटरसाइकिल को भोवापुर के पास खण्डहर बिल्डिंग से बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त मौहम्मद सरवर उर्फ इबरान उर्फ इमरान उपरोक्त से पूछने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी में रहता है तथा दिल्ली एनसीआर में वाहन चोरी करता है जिन्हें बेचकर अपने शौक पूरे करता है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दोनों मोटरसाइकिल दिल्ली से चोरी की गयी हैं। अभियुक्त ये मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में जा रहा था तभी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पकड़ लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- मौहम्मद सरवर उर्फ इबरान उर्फ इमरान पुत्र मौ0 इदरीश उर्फ मुजीब निवासी झुग्गी झोपडी भोवापुर कौशाम्बी थाना कौशम्बी जनपद गाजियाबाद उम्र लगभग 32 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 02 मोटर बरामद ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिल्ली एनसीआर व गाजियाबाद क्षेत्र में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने, एनडीपीएस एक्ट,आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट के 13 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम ।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 18.01.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर

तत्काल सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना का अनावरण करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात् आज दिनांक 19.01.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1.हिमान्शु उर्फ हिमांशु उर्फ मोहित पुत्र राकेश मित्तल निवासी डी-46 शान्तिनगर शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली 2.मोहन उर्फ मोनू पुत्र ब्रजपाल उर्फ बृजपाल निवासी कारीराम कॉलोनी खेकडा बागपत पूर्व निवासी सरस्वती विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हमने यह मोटरसाइकिल थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से चोरी की थी। आज हम इस मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.हिमान्शु उर्फ हिमांशु उर्फ मोहित पुत्र राकेश मित्तल निवासी डी-46 शान्तिनगर शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 38 वर्ष।

2.मोहन उर्फ मोनू पुत्र ब्रजपाल उर्फ बृजपाल निवासी कारीराम कॉलोनी खेकडा बागपत पूर्व निवासी सरस्वती विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त हिमान्शु उर्फ हिमांशु उर्फ मोहित के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर लूट का 01 अभियोग, आयुध अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। **(कुल अभियोग-03)**

अभियुक्त मोहन उर्फ मोनू के विरूद्ध थाना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्धनगर में पुलिस मुठभेड/आयुध अधिनियम का 01 अभियोग, थाना विजयनगर गाजियाबाद में स्नैचिंग के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। **(कुल अभियोग -04) ।**

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

साइबर सेल थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई कुल 44,774 /- रूपये की धनराशि वापस करायी गयी ।

दिनांक 21.12.2025 को साइबर सेल कमिश्नरेट गाजियाबाद टीम को आवेदिका निवासी थानाक्षेत्र भोजपुर गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन कुल 44,774 /- रूपये की धनराशि का साइबर फ्रॉड करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई ।

कार्यवाही का विवरणः-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद को दिनांक 21.12.2025 को आवेदिका निवासी थानाक्षेत्र भोजपुर गाजियाबाद के साथ ऑनलाइन कुल 44,774 /- रूपये की धनराशि का साइबर फ्रॉड करने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई । विधवा पेंशन के क्रियान्वयन के नाम पर आवेदिका से OTP लिया गया जिसके बाद आवेदिका के खाते से 44,774 /- रूपये अवैध तरीके से निकाले गये । इसके सम्बन्ध में आवेदिका ने NCRP PORTAL पर शिकायत दर्ज की जिस पर साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 19.01.2026 को आवेदिका के साथ हुई ऑनलाइन साइबर फ्रॉड में ठगी की समस्त धनराशि 44,774 /- रूपये को अथक प्रयासों के बाद आवेदिका को वापस कराया गया । आवेदिका व उनके परिजन द्वारा थाना भोजपुर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीमः-

साइबर सेल थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई रु 60,000/- रुपये धनराशि वापस करायी गई ।

दिनांक 19.01.2026 को साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक श्री बृजेश कुमार सिंह नि0 बहरामपुर थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गई 60,000 /- रुपये धनराशि आवेदक को वापस करायी गई।

कार्यवाही का विवरण-

साइबर क्राइम अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से आवेदक श्री बृजेश

कुमार सिंह के साथ ऑनलाइन ठगी से सम्बन्धित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई ऑनलाइन ठगी की धनराशि को सम्बधित मर्चेन्ट से पत्राचार व अन्य प्रयासों के बाद दिनांक 19.01.2026 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की 60,000 /- रुपये धनराशि साइबर सेल टीम थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद द्वारा वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक आकर थाना प्रभारी महोदय एवं पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

साइबर सेल थाना कॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 20 नशीले इन्जेक्शन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 19.01.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त हिम्मत पुत्र बाबूलाल निवासी सुन्दरपुरा थाना कोटपुतली जिला बाड़मेर राजस्थान उम्र करीब 23 वर्ष को गुर्जर गेट कालू सीमेन्ट प्रगति विहार थाना खोड़ा से अवैध 20 नशीले इन्जेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि बरामद इनजेक्शन को मैं हर सोमवार दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास बने अंडर पास के नीचे एक व्यक्ति से सस्ते दामों में खरीदता हूँ और इन इन्जेक्शन को फेस 3 व गाजीपुर सब्जी मण्डी के मजदूरों तथा खोडा व इदिरपुरम में चलते फिरते नशा करने वाले लोगों को एविल के एक इजेक्शन को मय सिरंज व नीडल के 200 रुपये में बेचता हूँ और मुनाफा कमाता हूँ। आज भी में इन्जेक्शन बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

हिम्मत पुत्र बाबूलाल निवासी सुन्दरपुरा थाना कोटपुतली जिला बाड़मेर राजस्थान उम्र करीब 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- अवैध 20 नशीले इन्जेक्शन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोड़ा पर एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना खोडा पुलिस टीम ।

स्वाट टीम नगर जोन व थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 36 किलोग्राम अवैध गांजा व एक XUV 300 कार बरामद ।

घटना एवं कार्यवाही का विवरण

दिनांक 19.01.2026 को स्वाट टीम नगर जोन एवं थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, कमला नैहरू नगर से संजयनगर की ओर आने वाली रोड पर पोस्टल तिराहा के पास से वाहन सहित 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगण के कब्जे से 36 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे गाड़ी XUV 300 (काला रंग, रजिस्ट्रेशन नंबर HR07K 1112) में अपने साथियों के साथ उड़ीसा से दो थैलों में छुपाकर अवैध गांजा लेकर आए हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वे गांजे को कम दामों पर खरीदकर इकट्ठा करते हैं तथा छोटी-छोटी पुड़ियों में पैक कर अधिक दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। पूछताछ में यह भी बताया गया कि उनके साथ पवन पुत्र स्व. बीर बहादुर, निवासी ई-ब्लॉक, शास्त्री नगर, थाना कविनगर, गाजियाबाद तथा सचिन पुत्र नामालूम, निवासी मिसलगढ़ी, गाजियाबाद भी इस अवैध व्यवसाय में सम्मिलित हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:

1. राहुल शर्मा पुत्र कैलाश चन्द, निवासी साढा, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलन्दशहर, उम्र लगभग 35 वर्ष।
2. राहुल कोरी उर्फ मूसा उर्फ राजेश पुत्र अशोक कुमार, निवासी मकान संख्या 67, एन ब्लॉक, सेक्टर 23, संजयनगर, थाना मधुबन बापूधाम, जनपद गाजियाबाद, मूल निवासी ग्राम भूनी, थाना सरधना, जिला मेरठ, उम्र लगभग 48 वर्ष।
3. अभय उर्फ गौरव पुत्र अरविन्द, निवासी नियर बालाजी अपार्टमेंट, एम ब्लॉक, सेक्टर 23, संजयनगर, थाना मधुबन बापूधाम, जनपद गाजियाबाद, उम्र लगभग 23 वर्ष।

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास

अभियुक्त राहुल शर्मा उपरोक्त पर – 01 अभियोग लूट का थाना बुलन्दशहर जनपद हापुड़ में, 05 अभियोग लूट/हत्या/आर्म्स एक्ट के थाना हापुड देहात, जनपद हापुड़ में, 01 अभियोग लूट एवं बरामदगी थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ में, 01 अभियोग लूट थाना भोजपुर, कमि0 गाजियाबाद व 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गाजियाबाद में कुल 09 अभियोग पंजीकृत है ।

अभियुक्त राहुल कोरी उर्फ मूसा उर्फ राजेश उपरोक्त पर – 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट का थाना नोएडा सैक्टर 20 गौ0बुद्ध नगर में, 03 अभियोग 2/3 गैगस्टर एक्ट /25 आर्म्स एक्ट/हत्या का थाना सिहानी गेट कमि0 गाजियाबाद, 07 अभियोग एनडीपीएस एक्ट का थाना कविनगर/मधुबन बापूधाम कमि0 गाजियाबाद में कुल 11 अभियोग पंजीकृत है ।

अभियुक्त अभय उर्फ गौरव उपरोक्त पर – 01 अभियोग एनडीपीएस एक्ट का थाना मधुबन बापूधाम कमि0 गाजियाबाद में कुल 01 अभियोग पंजीकृत है ।

बरामदगी का विवरण

1. 36 किलोग्राम गांजा।
2. एक XUV 300 कार (काला रंग), रजिस्ट्रेशन नंबर HR07K 1112।

गिरफ्तार करने वाली टीम स्वाट टीम नगर जोन एवं थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।